संख्या- I/1214522/2026/ मु0मं0न0सृ0यो0/9-2-2025-E-1782369

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27-01-2026

**विषय:-**मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर निगम अलीगढ़, जनपद-अलीगढ़ को द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/1438/29(2)-यू0सी0/2024-25, दिनांक 11.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विस्तारित नगर निगम अलीगढ़, जनपद-अलीगढ़ को प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों के अद्यतन फोटोग्राफ्स् निरीक्षण आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किश्त अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

**2-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर निगम अलीगढ़, जनपद-अलीगढ़ को शासनादेश सं0-22/2024/283मु0मं0न0सृ0यो0/9-2-2024-ई-1822758, दिनांक 31.07.2024 एवं शासनादेश सं0-145/2024/527मु0मं0न0सृ0यो0/9-2-2024-ई-1865679, दिनांक 27.11. 2024 द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त के उपभोग के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से तालिका में उल्लिखित 45 कार्यों की अवशेष द्वितीय किश्त की **कुल धनराशि रू0 685.85 लाख (रू0 छ: करोड़ पचासी लाख पचासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष् अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि | प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि का विवरण | अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | वार्ड नं0 01 में अली नगर रोड पर काशीराम स्कूल से श्री संजय कुमार के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण एवं अन्य कार्य। | 44.88 | 20.64 | 11.68 |
| 2 | वार्ड नं0 03 में ग्राम पड़ियावली में श्री हरप्रसाद के मकान से श्री मलखान सिंह के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 27.76 | 12.77 | 6.91 |
| 3 | वार्ड न0 3 में पड़ियावली में कलावती इन होटल के सामने गली में आगरा रोड से श्री नन्नूमल के मकान तक सड़क साइड पटरी एवं नाली आदि का कार्य। | 74.06 | 34.07 | 17.14 |
| 4 | वार्ड न0 3 सतीश के मकान से अतहर पैकिंग के मकान तक सड़क एवं नाली आदि निर्माण कार्य। | 31.24 | 14.37 | 7.52 |
| 5 | वार्ड नं0 05 बाबा कॉलोनी में श्री रामवीर सिंह के मकान से श्रीमती मानसी कुश्वाह के मकान तक अन्य लिंक गलियों में सड़क एवं नाली निर्माण का | 48.48 | 22.30 | 18.27 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कार्य। | | | |
| 6 | वार्ड नं0 05 वैष्णो रॉयल सिटी फेस-0 1 में श्री संदीप सिंह के मकान से श्री शैलेन्द्र सिंह के मकान तक अन्य लिंक गलियों में सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 51.65 | 23.76 | 12.40 |
| 7 | वार्ड नं0 05 में पानखानी में श्री उमेश सारस्वत के मकान से आंगनवाड़ी केन्द्र तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 14.95 | 6.88 | 3.49 |
| 8 | वार्ड नं0 16 में सराय बुर्ज में श्रीधाम कॉलोनी में श्री के0के0 शर्मा के मकान से श्री सोरन सिंह के मकान तक अन्य लिंक गलियों में सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 53.38 | 24.56 | 15.12 |
| 9 | वार्ड नं0 16 में सराय हरनारायण में श्री मोहन लाल के गोदाम से श्री हरिकेश के मकान तक सड़क निर्माण का कार्य। | 70.07 | 32.23 | 16.85 |
| 10 | वार्ड नं0 23 में दौरला निरपाल में नाले के पास आगरा बाईपास से श्री अमित के मकान तक सड़क निर्माण का कार्य। | 155.22 | 71.40 | 32.66 |
| 11 | वार्ड नं0 23 में बढ़ौली फतेह खां नाले के पास आगरा बाईपास से श्री चन्द्रपाल के मकान तक सड़क निर्माण का कार्य। | 82.59 | 38.00 | 19.00 |
| 12 | वार्ड नं0 24 देवसैनी में ममता कुटीर से रामघाट रोड तक जलनिकासी हेतु आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य। | 49.45 | 22.75 | 11.45 |
| 13 | वार्ड नं0 24 रामघाट रोड पर मौहल्ला राजबिहार कॉलोनी में गली 03, 04, 06 व 07 में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 47.16 | 21.70 | 10.91 |
| 14 | वार्ड नं0 24 के रामस्नेही नगर में श्री राजकुमार से श्री दिलीप, श्री लक्ष्मी नरायण से श्री धर्मवीर सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह से श्री मनेन्द्र तक एवं अन्य गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 50.72 | 23.33 | 12.72 |
| 15 | वार्ड नं0 24 न्यू अम्बेडकर नगर में रामघाट रोड बघेल बुक सेंटर से श्री अतर सिंह के मकान होते हुए श्री योगेन्द्र सिंह के पास तक व लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण एवं साइड में इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 65.90 | 30.32 | 14.66 |
| 16 | वार्ड नं0 25 क्वार्सी में रामघाट रोड पर चौधरी ढाबा से आगे जाफरी ड्रेन की ओर जलनिकासी हेतु आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 49.90 | 22.96 | 13.02 |
| 17 | वार्ड नं0 25 क्वार्सी में होली चौक से श्री जितेन्द्र कुमार के मकान (क्वार्सी नगला) तक आर0सी0सी0 नाली एवं सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य। | 49.98 | 22.99 | 11.57 |
| | वार्ड नं0 32 में नयी सीमान्तर्गत सारसौल से रॉयल रेजीडेंसी के सामने वाली गली में चन्द्रलोक कालोनी गली नं0 1,2 व 3 राधा रानी कॉलोनी में सुल्तान | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | सिह के घर से डेरी वालो के घर तक एवं लिंक गलियों में तथा अभिषेक के घर से बैनीराम की भट्टी तक सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य। | 250.22 | 115.10 | 56.90 |
| 19 | वार्ड न0 34 में नयी सीमान्तर्गत अशरफपुर जलाल में खैर बाईपास रोड स्थित राज नग्रर कॉलोनी में विजय ट्रेडर्स से प्रेम पण्डित जी के घर तक व लिंक गलियों में सी0सी0 सड़क एवे आर0सी0सी0 नाली निर्माण का कार्य। | 169.59 | 78.01 | 41.87 |
| 20 | वार्ड न. 34 नयी सीमा के अंतगर्त ज्वालाजीपुरम में खैर रोड स्थित जी डी गार्डन के पास शिव धाम कॉलोनी में जी डी गार्डन से गिर्राज जी घर तक व हॉस्पिटल वाली लिंक गली में आर०सी०सी०नाली व् सी०सी० सड़क निर्माण का कार्य | 84.19 | 38.73 | 21.32 |
| 21 | वार्ड न0 35 खैर रोड पर नवमान कॉलोनी में ग्राम असरफपुर जलाल क्षेत्र के अन्तर्गत श्री अरविन्द फौजी के मकान से पहलवान जी के मकान तक एवं लिंक गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 55.99 | 25.76 | 13.44 |
| 22 | वार्ड न0 35 में 24 फुटा रोड पर जुवेदा मस्जिद वाली गली ग्राम असरफपुर जलाल क्षेत्र के अन्तर्गत श्री साब्बुदीन के मकान से श्री सलमान के मकान तक एवं लिंक गलियों में सी0सी0 सड़क व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 45.70 | 21.02 | 11.41 |
| 23 | वार्ड न0 36 में क्वार्सी बाईपास रोड से मा0 पार्षद जी के मकान होते हुए श्री करन सिंह बघेल के मकान तक मार्ग में नाली मरम्मत व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण एवं साइड में इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 132.84 | 61.11 | 33.66 |
| 24 | वार्ड न0 40 में नयी सीमान्तर्गत सारसौल में बरौला में पवन के घर से योगेश के घर तक व पथवारी के पास लिंक गलियों में सी0सी0 सड़क एवं आर0सी0सी0 नाल निर्माण का कार्य। | 114.09 | 52.48 | 27.51 |
| 25 | वार्ड न0 41 कुलदीप बिहार कॉलोनी में श्री वीरेन्द्र कुमार के घर से अहेरिया चौराहे तक सी0सी0 सडक व इण्टरलॉकिंग द्वारा साइड पटरी निर्माण कार्य। | 49.83 | 22.92 | 11.34 |
| 26 | वार्ड न0 41 असदपुर क्याम देवी नगला में अहेरिया चौराहे से न्यू शास्त्री बाल विघालय तक जलनिकासी हेतु आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 49.80 | 22.91 | 13.00 |
| 27 | वार्ड न0 41 असदपुर क्याम देवी नगला में न्यू शास्त्री बाल विघालय से क्यामपुर मोड़ तक जलनिकासी हेतु आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 41.85 | 19.25 | 10.00 |
| 28 | वार्ड न0 41 मिथलापुरी में श्रीमती डोली के मकान से श्री कल्याण सिंह के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली एवं सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य। | 64.33 | 29.59 | 15.85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | वार्ड नं0 41 मिथलापुरी मे देवी नगला रोड से श्री देवेन्द्र शास्त्री के मकान तक एवं लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली एवं सी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य। | 59.02 | 27.16 | 14.23 |
| 30 | वार्ड नं0 43 में मथुरा रोड स्थित इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी में श्री वासुदेव के मकान से श्रीमती कुंती देवी के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 42.55 | 19.57 | 10.27 |
| 31 | वार्ड 43 वैष्णोपुरम में अलसेंट पब्लिक स्कूल से मनोज शर्मा के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 117.00 | 53.82 | 28.13 |
| 32 | वार्ड नं0 24 नयी सीमान्तर्गत रामघाट रोड पर ग्राम देवसैनी उदय राम कॉलोनी में एस0टी0 मैरी पब्लिक स्कूल के सामने से संजू देवी के मकान तक व लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 62.86 | 31.43 | 11.94 |
| 33 | वार्ड नं0 25 नयी सीमान्तर्गत नयी सीमान्तर्गत क्वार्सी होली चौक के पास धर्मपाल के मकान से जुगेन्द्र सिंह के मकान तक गली में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 8.80 | 4.40 | 2.38 |
| 34 | वार्ड नं0 36 धनीपुर में मोहन नगर में श्री अर्जुन सिंह के मकान से श्री राजेन्द्र पाल के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 22.78 | 11.39 | 6.00 |
| 35 | वार्ड नं0 36 धनीपुर के मोहन नगर गली नं0 04 में श्री सुनील शर्मा के मकान से श्री बनी सिंह के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य। | 32.25 | 16.13 | 7.94 |
| 36 | वार्ड नं0 64 बरौला जाफराबाद मे मरघट से कब्रिस्तान, कब्रिस्तान से मस्जिद होते हुए मुख्य मार्ग तक व लिंक गलियों मे सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 80.00 | 40.00 | 12.09 |
| 37 | वार्ड नं0 90 नयी सीमान्तर्गत नगला पटवारी बरौला बाईपास पर गली नं0 9 मे यामीन भाई के मकान से गफ्फार भाई के मकान तक सी0सी0 सड़क व सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। वार्ड नं0 90 नयी सीमान्तर्गत नगला पटवारी बरौला बाईपास पर गली नं0 9 मे यामीन भाई के मकान से गफ्फार भाई के मकान तक सी0सी0 सड़क व सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 37.02 | 18.51 | 5.96 |
| 38 | भकरौला मथुरा रोड पर भकरौला ग्राम मुख्य मार्ग पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 28.14 | 14.07 | 13.64 |
| 39 | मथुरा रोड से दौलरा निरपाल ग्राम मुख्य मार्ग पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 34.52 | 17.26 | 16.74 |
| 40 | आगरा रोड से बरौली फतेहखां मुख्य मार्ग पर पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 29.10 | 14.55 | 10.17 |
| | एन0एच0 सराय हरनारायण मुख्य मार्ग पर पथ | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 22.01 | 11.00 | 7.69 |
| 42 | एटाचुगी से कमालपुर मुख्य मार्ग पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 40.31 | 20.15 | 19.54 |
| 43 | पला फाटक से अलीनगर तक मुख्य मार्ग पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 29.24 | 14.62 | 14.18 |
| 44 | रामघाट रोड से देव सैनी ग्राम मुख्य मार्ग तक प्रथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 19.02 | 9.51 | 6.65 |
| 45 | रामघाट रोड से तालसपुर मुख्य मार्ग पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। | 19.02 | 9.51 | 6.63 |
| | **योग** | **2709.46** | **1264.99** | **685.85** |

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/125/2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
6. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
7. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
8. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
9. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
10. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
11. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
13. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
14. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
15. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित

अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

16. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यादेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

17. निर्गत की जा रही धनराशि से निकायों द्वारा 01 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

18. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स् अपलोड किये जायेंगे।

19. समस्त निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मेयर/नगर आयुक्त की होगी।

20. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**3-** इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,85,85,000.00 (रुपये छ: करोड़ पचासी लाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक** 2217801910300 उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर निगमों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

**4-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 23-01-2026
11:26:13

भवदीय,
(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

**संख्या व दिनांक-तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) मण्डलायुक्त, अलीगढ़।
(7) जिलाधिकारी, अलीगढ़।
(8) मेयर/नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़।
(9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
(10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।